निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्तिसिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 39/2019 प्रा. पत्र निर्णय दिनांक :– 11.11.2019

अनवान

1. श्री हीरा पिता नंगा जी गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ
2. श्री भूरा पिता नंगा जी गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ़
3. श्री खेमा पिता नेना जी गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ
4. श्री सरजु देवी पत्नि सुवा जी गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ

––––––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अमरा पिता नेना जी गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ
2. श्री नाथु पिता हीरा गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ
3. श्री केशु पिता छीतर गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ
4. श्री सुरेश पिता धर्मचन्द जी जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़
5. श्री मांगी लाल पिता हरीराम गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ
6. श्री देवा पिता वरदा गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ
7. श्री महाराम पिता मोती गुर्जर उम्र बालिग निवासी भचरडिया तहसील देवगढ़

–––––विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे की जमीन मौजा भचरडिया पटवार सर्कल पारडी तहसील देवगढ़ की सीमा में स्थित है। जिसके खाता सं0 241 आराजी नं0 17 रकबा 0.18 विस्वा, आराजी नं0 18 रकबा 4.19 बीघा, आराजी नं0 21 रकबा 0.13 विस्वा, आराजी नं0 22 रकबा 0.06 विस्वा, आराजी नं0 310 रकबा 0.06 विस्वा, आराजी नं0 311 रकबा 0.11 विस्वा, आराजी नं0 312 रकबा 4.12 बीघा, आराजी नं0 313 रकबा 0.08 विस्वा, आराजी नं0 314 रकबा 0.07 विस्वा, आराजी नं0 315 रकबा 0.04 विस्वा, आराजी नं0 321 रकबा 0.17 बीघा, आराजी नं0 322 रकबा 2.06 बीघा, आराजी नं0 323 रकबा 0.04 विस्वा, आराजी नं0 324 रकबा 2.10 बीघा, आराजी नं0 537 रकबा 0.05 विस्वा, आराजी नं0 630 रकबा 1.17 बीघा, आराजी नं0 631 रकबा 0.03 विस्वा, आराजी नं0 635 रकबा 0.05 विस्वा, आराजी नं0 536 रकबा 1.16 बीघा, आराजी नं0 639 रकबा 1.12 बीघा भूमि है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने से विपक्षी जो प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमा

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आराजी नं0 635 रकबा 0.05 विस्वा, आराजी नं0 536 रकबा 1.16 बीघा, आराजी नं0 639 रकबा 1.12 बीघा भूमि है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने से विपक्षी जो प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमा के पडौसी हे जो हर समय सीमा सम्बन्धि विवाद करते रहते है। कभी प्रार्थीगण की भूमि की सीमा की पाली को हाक देते है। कभी घास काट लेते है तथा फसल बोहते समय भी विपक्षी प्रार्थीगण की भूमि की सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है। इस समस्या का समाधान प्रार्थीगण की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हो सकता है। अतः प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षी को सम्मन तामिल हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी प्रार्थीगण की जमीन को हाक देते है। प्रार्थीगण की जमीन में से घास काट लेते है तथा हर समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीगण उनकी जमीन का उपयोग–उपभोग एवं का त वगैरह भान्ति पूर्वक नही कर पा रहा है यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का समाधान हमेशा–हमेशा के लिये हो जायेगा और प्रार्थीगण उनकी जमीन का भान्ति पूर्वक उपयोग–उपभाग एवं का त वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण की उपर्युक्त वर्णित आराजियात के पत्थरगढी के आदे । प्रदान कराये जावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी, एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तवेजो का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। नकल जमाबन्दी, ग्राम खाखरडा भचरडिया सम्वत् 2068 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उनके खाते की भूमि की पत्थगढी करा सकते है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो मौजा भचरडिया पटवार सर्कल पारडी तहसील देवगढ़ की सीमा में स्थित है। जिसके खाता सं0 241 आराजी नं0 17 रकबा 0.18 विस्वा, आराजी नं0 18 रकबा 4.19 बीघा, आराजी नं0 21 रकबा 0.13 विस्वा, आराजी नं0 22 रकबा 0.06 विस्वा, आराजी नं0 310 रकबा 0.06 विस्वा, आराजी नं0 311 रकबा 0.11 विस्वा, आराजी नं0 312 रकबा 4.12 बीघा, आराजी नं0 313 रकबा 0.08 विस्वा, आराजी नं0 314 रकबा 0.07 विस्वा, आराजी नं0 315 रकबा 0.04 विस्वा, आराजी नं0 321 रकबा 0.17 बीघा, आराजी नं0 322 रकबा 2.06 बीघा, आराजी नं0 323 रकबा 0.04 विस्वा, आराजी नं0 324 रकबा 2.10 बीघा, आराजी नं0 537 रकबा 0.05 विस्वा, आराजी नं0 630 रकबा 1.17 बीघा, आराजी नं0 631 रकबा 0.03 विस्वा, आराजी नं0 635 रकबा 0.05 विस्वा, आराजी नं0 536 रकबा 1.16 बीघा, आराजी नं0 639 रकबा 1.12 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकरान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी करवा कर रिपोर्ट न्यायालय में पे श करें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुलें न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़